



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-829/1772

नया रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
रायपुर वृत्त, रायपुर
छत्तीसगढ़

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Mahasamund" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 5.923 ha. regarding 42881

पंजीयन क्रमांक -FP/CG/OFC/42358/2019 Date 05.11.2019

संदर्भ:-

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-8/ 2020/ 10-2 दिनांक 21.09.2020

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न)। उक्त प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भ पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- संदर्भित पत्र की छाया प्रति (दो पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 829/ 1773

रायपुर, दिनांक 07/10/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. वन मंडलाधिकारी, महासमुन्द वन मंडल, महासमुन्द, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/5-8/2020/10-2
प्रति,

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21/09/2020

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, सेक्टर-19

नवा रायपुर, अटल नगर ।

विषय-

आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर द्वारा महासमुन्द जिले के महासमुन्द वनमंडल अंतर्गत ~~भरत~~ नेट प्रोजेक्ट फेस-2 के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.923 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भ-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-829/1623 दिनांक 31.08.2020।

—00—

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/- विषयांकित प्रकरण में सम्पूर्ण वनमंडलों में विभिन्न ग्राम पंचायतों को जोड़ते हुए ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु एकजाई वन भूमि की गणना कर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त वन भूमि की गणना में एक ही वन कक्ष का अनेक बार प्रविष्टि की गई है, जिससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि, उक्त वन क्षेत्र में कुल आवेदित रकबा कितना है ?

3/- उक्त प्रकरण में राज्य शासन स्तर से जारी किये जाने वाले अनुमति में आवेदित वन क्षेत्र का विवरण निम्न तालिका अनुसार दर्ज किया जाना होगा :-

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4/- अतः आदेशानुसार निवेदन है कि उपरोक्त तालिका अनुसार प्रत्येक वन कक्ष का कुल आवेदित रकबा दर्शाते हुए विवरण प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

Reginald
(के.पी.राजपूत) 9-25-20
अवर सचिव

पृष्ठा. क्रमांक 5-8/2020/10-2
प्रतिलिपि :-

9k छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21/09/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योषित।

Reginald
अवर सचिव 21-9-2020

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग